न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 43/2019

1 हेमाराम पुत्र मालाराम जाति माली निवासी भोपा वाली ढ़ाणी सुनी हवेली के पास बागोरिया की ढ़ाणी तन चिराणा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 खेमचन्द पुत्र सांवताराम जाति माली निवासी भोपावाली ढ़ाणी बागोरिया की ढ़ाणी तन चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
2 तहसीलदार नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ बउनवानी हेमाराम बनाम खेमचन्द वगैरह अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मुकदमा नम्बर 09/2017 निर्णय दिनांक 10.04.2019

उपस्थिति :

1. श्री रविराज सिगोदियां, अधिवक्ता अपीलांट

–निर्णय–

दिनांकः– 10.11.2021

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 09/2017 में पारित निर्णय दिनांक 10.04.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र बउनवानी हेमाराम बनाम खेमचन्द वगैरह अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ के न्यायालय में पेश किया था। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में यह लिखते हुए कि" आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत नजरी नक्शा में जो रास्ता खसरा नम्बर 993 व 982 के मध्य तथा खसरा नम्बर 983 व 984 के पश्चिम की और से जो रास्ता दर्शाया गया है। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नक्शा ट्रेस खसरा नम्बर 982,994,983,984 में दर्शित नहीं है। अन्तर्गत धारा 251ए में दिये जाने वाले रास्ते में अपेक्षित रास्ता की पहूंच रिकार्डेड रास्ता तक होना आवश्यक होता है। आवेदक द्वारा केवल 5×6 वर्गमीटर का रास्ता चाहा गया है, जिससे किसी अन्य रास्ते तक पहूंच होना प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ के कानूनी व तथ्यों के विरूद्व किये गये निर्णय से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने इस बात पर बिलकुल भी गौर नहीं किया कि अपीलांट की भूमि खसरा नम्बर 990,991 के कोई रास्ता नहीं किया कि अपीलांट की भूमि खसरा नम्बर 990 के पूर्वी ओर से नजरी नक्शे में दिखाया गया है वह रास्ता खसरा नम्बर 984 की उतरी सीमा तक जाता है। इसके आगे यह रास्ता बन्द है। विचारण न्यायालय में अपने निर्णय में लिखा है कि अन्तर्गत धारा 251ए मे दिये जाने वाले रास्ते में अपेक्षित रास्ते की पहुंच रिकार्डेड रास्ता तक होना आवश्यक है। अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में साफ लिखा है कि भूमि खसरा नम्बर 982 प्रार्थी के भाई

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

बंटवारे की है जिसमें प्रार्थी का भी हिस्सा है। इस खसरा नम्बर 982 के दक्षिण में कटानी रास्ता जाता है, जो मौके पर चालू है। प्रार्थी इस कटानी रास्ते से अपनी भूमि खसरा नम्बर 982 की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे खसरा नम्बर 983 की दक्षिणी पश्चिमी कोने से खसरा नम्बर 992 के अन्दर से अपने खेत खसरा नम्बर 990 व 991 में आता जाता है। खसरा नम्बर 982 में आने जाने में किसी प्रकार की रूकावट नहीं है। क्योंकि यह प्रार्थी का खुद का खेत है। प्रार्थी को खसरा नम्बर 990 व 991 में आने जाने के लिए फसल काश्त करने के लिए रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। प्रार्थी रास्ते के अभाव में अपने खेत काश्त की ढ़ंग से नहीं कर पा रहा है। प्रार्थी जो रास्ता चाह रहा है वह मात्र 5×6 वर्ग मीटर क्षेत्र का ही है, जो एक छोटा सा टूकड़ा है। प्रार्थी के इलाके में पीने के पानी की अध्यधिक कमी है। प्रार्थी को पीने का पानी टेंकर से मंगवाना पड़ता है जिसको भी अनावेदक नहीं लाने दे रहा है। प्रार्थी रास्ते की जमीन के बदले जमीन या डी.एल.सी. रेट के अनुसार डेड गुनी राशि अनावेदक को देने के लिए तैयार है। अपील अपीलांट पेश्कर निवेदन है कि प्रार्थी की अपील स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय के निर्णय को खारिज किया जावे तथा प्रार्थी को अनावेदक नम्बर 01 खसरा नम्बर 983 की दक्षिणी पश्चिमी कोने से नजरी नक्शे में दिखाये अनुसार रास्ता दिलवाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट ने आवेदन में कथन किया है कि भूमि खसरा नम्बर 982 प्रार्थी के भाई बंटवारे की है जिसमें प्रार्थी का भी हिस्सा है। इस खसरा नम्बर 982 के दक्षिण में कटानी रास्ता जाता है। जो मौके पर चालु है। प्रार्थी इस कटानी रास्ते से अपनी भूमि खसरा नम्बर 982 की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे खसरा नम्बर 983 में दक्षिणी पश्चिमी कोने से खसरा नम्बर 992 के अन्दर से अपने खेत खसरा नम्बर 990 व 991 आता जाता रहा है। विचारण न्यायालय में इस तथ्य पर कोई गौर नही कर सरसरी तौर पर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। ऐसा निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपीलांट को सुनकर गुणावगुण पर निर्णय हेतु प्रति प्रेषित किया जाता है। अपीलांट विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.12.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 10.11.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर